# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग
### कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–08/अ0प्र0–01–11/2019 28 /पटना, दिनांक:– 01/02/24

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–13573 दिनांक–10.09.2010 में दिये गये निदेश तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित एवं लापता रहने के आलोक में कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग भागलपुर के पत्रांक–517 दिनांक–27.10.2010 द्वारा श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यभारित चौकीदार, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर को सेवा से मुक्त किया गया। इन आदेशों के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3947/2014 प्रकाश कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–14.11.2017 को पारित न्यायादेश में याचिका को Allowed करते हुए तथा सेवा से मुक्त करने संबंधी आदेश को Set Aside करते हुए याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया गया। इस आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है:–

*" It appears from Annexure-5 that Executive Engineer referred letter No. 13573(s) dated 10.09.2010 and removed the petitioner from service with immediate effect. It is also mentioned in the letter that petitioner was absent since September, 2007 but without asking any show cause about the absence of the petitioner from the month of September, 2007, the petitioner was removed from service. The petitioner was working Patna High Court CWJC No.3947 of 2014 dt.14-11-2017 7/7 on the sanctioned post of Chowkidar in the work charge establishment for more than 20 years and without giving any notice and asking show cause the order of termination of service of the petitioner is in violation of principles of natural justice and, therefore the same is bad and illegal.*

*It further transpires that the State of Bihar has issued resolution, as contained in memo No. 489, by which it has been resolved that the persons who have been working in the work charge establishment till 11.12.1990 their services can be regularized and in pursuance of the aforesaid resolution services of many persons were regularized. Admittedly, the petitioner was appointed in the work charge establishment on the post of Chowkidar, which is a sanctioned post, from 30.03.1987 and, therefore, petitioner is also entitled for regularization of his service as many of the persons appointed after the petitioner, have been regularized vide notification contained in Annexure-A.*

***Having considered the facts aforesaid, this writ petition is allowed and the orders dated 10.09.2010 (Annexure-4) and the order dated 27.10.2010 (Annexure-5) are set aside and the respondents are directed to regularize the service of the petitioner within four months from the date of receipt of this order."***

2. वर्णित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील याचिका एल0पी0ए0 सं0–920/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव दायर किया गया। इस दायर अपील को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक–17.12.2022 द्वारा None appears for the appellant के कारण खारिज कर दिया गया। इस बीच न्यायादेश दिनांक–14.11.2017 का अनुपालन कराने हेतु वादी श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एम0जे0सी0सं0–383/2019 दायर किया गया।

3. विभाग द्वारा दायर अपील वाद एल0पी0ए0 सं0–920/2018 खारिज हो जाने के फलस्वरूप न्यायादेश दिनांक–14.11.2017 का अनुपालन बाध्यकारी हो जाने एवं इस मामले में अवमाननावाद दायर होने के कारण अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–85 दिनांक–18.04.2023 द्वारा वादी श्री श्रीवास्तव के वर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया गया। जिसके आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा कार्यभारित चौकीदार के पद पर दिनांक–19.04.2023 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर में योगदान समर्पित किया गया है। वर्तमान में श्री श्रीवास्तव कार्यभारित स्थापना अन्तर्गत कार्यभारित चौकीदार के पद पर कार्यरत है।

4. कार्यभारित कर्मियों के नियमितिकरण से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 में यह निर्णय संसूचित है कि कार्यभारित स्थापना में कार्यरत उन्हीं कर्मियों को नियमित किया जा सकेगा जो दिनांक–11.12.1990 को अथवा उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए हो तथा उनकी सेवा संतोषप्रद रही हो और लगातार रही हो। साथ ही उक्त में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कार्यभारित कर्मियों के विरूद्ध कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हो या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, उनके विरूद्ध उपर्युक्त कार्रवाई समाप्त होने तक वर्तमान आदेश के अन्तर्गत नियमित स्थापना में नहीं लिया जाएगा।

5. श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना उपभाग, पटना के ज्ञापांक–149 दिनांक–30.03.1987 द्वारा कार्यभारित चौकीदार के पद पर पद ग्रहण की तिथि से किया गया। इस आदेश के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक–01.11.1987 के पूर्वाह्न में योगदान दिया गया तथा उक्त पद पर वे दिनांक–26.10.2010 तक कार्यरत रहे।

6. न्यायादेश दिनांक–14.11.2017 के अनुपालन में श्री श्रीवास्तव की सेवा का नियमितिकरण किये जाने के पूर्व उनके सेवा से बाहर रहने की अवधि दिनांक–01.09.2007 से 18.04.2023 तक की सेवा की नियमितिकरण किये जाने के बिन्दु पर वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गयी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा श्री श्रीवास्तव के वर्णित मामले में विधिक समाधान उपलब्ध है अथवा नहीं के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने का मंतव्य दिया

गया है। तद्‌लोक में श्री श्रीवास्तव का दिनांक–01.09.2007 से 27.10.2010 तक के अनुपस्थित अवधि तथा दिनांक–28.10.2010 से 19.04.2023 तक की अवधि के सेवा नियमन के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श हेतु अनुरोध किया गया। विधि विभाग द्वारा इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता के परामर्शानुसार *माननीय उच्च न्यायालय के Writ Court की दृष्टि में याचिकाकर्ता की कर्तव्य से अनुपस्थिति निराधार है। यदि वह अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित थे, तो उनके विरूद्ध कारण पृच्छा आदि की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी अन्यथा यह अनुपस्थिति का मामला नहीं बनता है। विभाग इस संबंध में स्पष्ट हो ले कि किस आधार पर उन्हें अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित दर्शाया जायेगा। यदि वह अनुपस्थित नहीं थे, तो अनुपस्थित अवधि के नियमितिकरण का प्रश्न नहीं उठता है। साथ ही विभाग को याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति साबित करने के लिए साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने का परामर्श दिया गया है।*

7. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर द्वारा याचिकाकर्ता के अनुपस्थित रहने के संबंध में उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कारण पृच्छा या स्पष्टीकरण की कार्रवाई करने से संबंधित कोई अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

8. याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी के मामले को माननीय न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने एवं विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के आधार पर गलत एवं अवैध माना गया है। उक्त से संदर्भित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–13(3) में यह प्रावधान संसूचित है कि " *जहॉ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहॉ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो और आगे कोई जॉच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहॉ यथास्थित सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः स्थापना की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी। फलस्वरूप उस अवधि के लिये सरकारी सेवक को पुरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो उसे यथास्थिति, पदच्युत नहीं किये जाने, हटाने नहीं जाने या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता।*"

9. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3947/2014 में दिनांक–14.11.2017 को पारित न्यायादेश, इस संबंध में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली, 2005 के नियम–13(3) आलोक में सम्यक विचारोपरांत वादी श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, कार्यभारित चौकीदार के दिनांक–01.09.2007 से 27.10.2010 तक के अनुपस्थित अवधि एवं दिनांक–28.10.2010 से 18.04.2023 तक की बर्खास्तगी की अवधि को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित

करते हुए वित्त विभागीय संकल्प सं0–10710 दिनांक–17.10.2013 में संसूचित प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, कार्यभारित चौकीदार को कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना के अन्तर्गत परिचारी के पद पर समायोजित/नियुक्त किया जाता है।

10. नियमित सेवा में आने के पश्चात् श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, परिचारी को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं अनुमान्य होगी:–

(i) यदि पूर्व से सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो इनके भविष्य निधि खाता में जमा पूरी राशि सूद के साथ निकासी कर कार्यपालक अभियंता द्वारा भविष्य निधि निदेशालय में नया जी0पी0एफ0 खाता खुलवाकर जमा करा दी जायेगी। नया खाता खोलने हेतु प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, भविष्य निधि निदेशालय, पटना को भेजा जाना होगा।

(ii) नियमित सेवा में आने के बाद की सेवा अवधि में उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकेंगे तथा सेवानिवृति के बाद जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकदीकरण की सुविधा प्राप्त होगी।

(iii) नियमित सेवा में आने के बाद ये संवर्ग में पूर्व से नियुक्त नियमित कर्मियों से कनीय होंगे और नियमित सेवा में आने के बाद की सेवा की ही गणना नियमित प्रोन्नति के लिए की जायेगी।

(iv) रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (MACPS) का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से इनकी कार्यभारित अवधि की सेवा की गणना की जायेगी। अगर कार्यभारित अवधि में ही इन्हें एक से दूसरे कार्यभारित पद पर नियुक्ति की गयी हो और उसका वेतनमान उच्चतर हो तथा उसी पद पर नियमित सेवा में लिये जाने का प्रस्ताव हो तो इस प्रकार कार्यभारित सेवावधि में वेतन उन्नयन को एक वित्तीय उन्नयन माना जायेगा।

(v) इन पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। प्रत्येक पाँच वर्षो की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हो तो उस हद तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

(vi) नियमित सेवा में आने के बाद सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर आश्रित को नियुक्ति का लाभ संगत नियमों के तहत देय होगा।

11. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–11/2019 518 /पटना, दिनांकः–01/02/24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर /जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–11/2019 518 /पटना, दिनांकः–01/02/24

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–04, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना सम्प्रति मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल, पटना सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–11/2019 518 /पटना, दिनांकः–01/02/24

प्रतिलिपिः– श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, परिचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर सम्प्रति जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–11/2019 518 /पटना, दिनांकः–01/02/24

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–08/अ0प्र0–01–11/2019 518 /पटना, दिनांकः–01/02/24

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव।